



आदेश

द्वारा पारित:

कार्यपालक निदेशक (प्रशासन) और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
'ए' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली 110003

के मामले में:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Order No: .../Appeal/ED [Admn]/2024

15 July, 2025

1.0 प्रस्तावना

1.1 यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के तहत किया गया है।

1.2 अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है जिस दिन यह आदेश दिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

2.0 तथ्य

2.1 श्री [REDACTED] ऑनलाइन आरटीआई पंजीकरण संख्या AAOIN/R/E/25/00859 dated 05.06.2025 के माध्यम से जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

4. उक्त अवधि में enquiry में कुल कितनी शिकायतों में सामने उजागर हुई अनियमितताओं/विसंगतियों को पुनः दुरुस्त (re-correction) करने हेतु मानव संसाधन विभाग, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अभी तक किए गए action taken report/outcomes का पूर्ण व्योरा उपलब्ध करवाए।

2.2 अपीलकर्ता ने एक ऑनलाइन प्रथम अपील पंजीकरण सं AAOIN/A/E/25/00150, दिनांक 24.06.2025 के माध्यम से सूचित किया है कि, Details not provided, any other ground." और इस बारे में प्रथम अपील दायर की है।

[REDACTED]

3.0 निष्कर्ष/आदेश

3.1 मामले को देखने के बाद, यह पाया गया है कि सीपीआईओ/ / श्री गिरीश कुमार, महाप्रबंधक (मा. सं.) ने अपीलकर्ता को पत्र संख्या DC-60012(11)//2/2023-HR/41, dated 06 february,2024 और DC-60012(11)/2/2023-HR(329, dated 17 June,2025 के माध्यम से उत्तर प्रदान किया है।

2. सीपीआईओ/ महाप्रबंधक (मा. सं.) श्री गिरीश कुमार को सलाह दी जाती है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पुनर्विचार करें और अपीलकर्ता को उचित जानकारी/उत्तर प्रदान करें। तदनुसार, ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त अपील दिनांक 24.06.2025 को निस्तारित किया जाता है।

3.3 यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, स्टाफ क्वार्टर, पुराना जेएनयू परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली, 110067 में दूसरी अपील के लिए संपर्क कर सकता है।



(माया लवानिया)

कार्यपालक निदेशक [प्रशासन] और
प्रथम अपीलीय अधिकारी

1. सीपीआईओ/जीएम (एचआर) श्री गिरीश कुमार

2. श्री विष्णु साहू, सीपीआईओ, जेएनयू परिसर, मुनिरका, नई दिल्ली, 110067 के माध्यम से प्राप्त अपील दिनांक 24.06.2025 को निस्तारित किया जाता है।